# एचआईवी, एड्स और मानव अधिकार

क्रिया नेतृत्व क्षमता विकसित करती है, महिलाओं के मानव अधिकार को आगे बढ़ाती है और सभी लोगों के यौनिक और प्रजनन स्वतंत्रता पर कार्य करती है।

यह प्रकाशन क्रिया के "काउंट मी इन! इट्स माई बॉडी" प्रोग्राम के लिए बनाया गया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है खेल कूद के ज़रिए किशोरियों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना और उनकी समझ बढ़ाना ताकि वे अपने शरीर, स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े सभी निर्णय खुद ले सकें। यह प्रोग्राम क्रिया अपने सहभागी संस्थाओं के साथ मिल कर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में चला रही है।

# एचआईवी, एड्स और मानव अधिकार

हमारे देश में एचआईवी पर काफी समय से बातचीत चल रही है। शायद यह इसलिए क्योंकि भारत में एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या काफी ऊंची है। कई बार एचआईवी संक्रमण को कुछ खास समूहों के साथ जोड़ दिया जाता है। एचआईवी संक्रमण के यौनिकता के साथ जुड़ाव की वजह से इसपर काफी नकारात्मक सोच भी बन गई है। इसपर हो रहा काम एचआईवी रोकथाम और इससे बचने पर केंद्रित है। कई बार एचआईवी/एड्स से जुड़े बाकी ज़रूरी मुद्दों पर कम बातचीत होती है। इस पत्रिका में हम एचआईवी से जुड़े ऐसे कुछ मुद्दे उठाएंगे।

# एचआईवी और एड्स क्या है?

ऐसे कई रोग और संक्रमण हैं, जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल सका है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिसिएन्सी वायरस (HIV) एक प्रकार का विषाणु (वायरस) है, जो शरीर की कोशिकाओं को संक्रमित करता है। एचआईवी शरीर की रक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। रक्षा प्रणाली, शरीर के अंदर एक ढाल की तरह होती है, जो हमें बीमार पड़ने से बचाती है।

एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएन्सी सिन्ड्रोम (AIDS), जिसका संक्षिप्त रूप एड्स है, एचआईवी से होता है। हम एड्स को एचआईवी संक्रमण का अधिक विकसित रूप कह

सकते हैं। चूंकि एचआईवी धीरे–धीरे इन कोशिकाओं को नष्ट करता जाता है, इसलिए शरीर उन संक्रमणों से ज़्यादा असुरक्षित हो जाता है, जिनसे लड़ना उसके लिए कठिन होता है। एचआईवी संक्रमण के काफी गंभीर हो जाने पर, कहा जाता है, कि व्यक्ति को एड्स हो गया है। अगर इसका इलाज नहीं किया जाए, तो एचआईवी द्वारा रक्षा प्रणाली को नष्ट कर, एड्स का रूप लेने में लगभग 10 वर्ष तक लग सकता है। वहीं, उचित दवाओं के साथ पौष्टिक भोजन और स्वस्थ जीवन–शैली अपनाने से एचआईवी पॉज़िटिव व्यक्ति भी लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। (AVERT)

# पूरी दुनिया और भारत में एचआईवी कितना फैल चुका है?

दुनिया भर में, लगभग 3.3 करोड़ लोग एचआईवी से प्रभावित हैं। भारत में कुल आबादी के लगभग 5.2 प्रतिशत लोग एचआईवी से प्रभावित हैं, जिनमें से 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। युवा भी इस वायरस से तेज़ी से प्रभावित हो रहे हैं।

# एचआईवी कैसे होता है?

एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एचआईवी कैसे फैलता है, इस बारे में कई प्रकार की गलतफहमियां है। इन गलतफहमियों को दूर कर, यह समझना ज़रूरी है कि एचआईवी कैसे होता है।

एचआईवी, संक्रमित व्यक्ति के खून और यौन तरल पदार्थों में, तथा संक्रमित महिला के दूध में पाया जाता है। जब किसी अन्य व्यक्ति के खून में इन तरल पदार्थों की पर्याप्त मात्रा पहुंच जाती है, तो उसे एचआईवी संक्रमण हो जाता है। केवल निम्नलिखित माध्यमों से एचआईवी संक्रमण हो सकता हैः

जब कोई व्यक्ति खून चढ़ाते समय संक्रमित खून के संपर्क में आता है।

जब बहुत से लोगों द्वारा इस्तमाल की गई सूई

इस्तमाल करते समय संक्रमित खून के संपर्क में आता है।

जब कोई व्यक्ति असुरक्षित यौन संबंध बनाते समय शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आता है।

अगर मां एचआईवी पॉज़िटिव है, तो जन्म और स्तनपान के दौरान कभी कभार बच्चे में संक्रमण पहुंच सकता है।

रोजमर्रा के संपर्कों, जैसे कि साथ खाना खाने, हाथ मिलाने, एक ही चीज़ को छूने, मच्छर के काटने इत्यादि से एचआईवी से संक्रमित होना संभव नहीं है। एचआईवी के कारणों को याद रखना और समझना ज़रूरी है, ताकि एचआईवी और एड्स से संक्रमित व्यक्ति के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जा सके।

# एचआईवी से बचाव?

एचआईवी संक्रमण से अपने–आप को बचाने के तरीके मौजूद हैं। अपने शरीर के बारे में सही जानकारी और अपने शरीर एवं जीवन के बारे में खुद फैसले करने के अधिकार का प्रयोग करने से इसकी शुरूआत की जा सकती है। इन फैसलों में कब यौन संबंध बनाया जाए, यह भी शामिल है। सकारात्मक यौन संबंध तब माना जाता है, जब व्यक्ति, अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत कर सकता है, और जब वह किसी चीज़ को करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, तो उसे बिना झिझक हां या नहीं कह सकता है। एचआईवी से बचाव

के लिए एचआईवी के बारे में और यह कैसे फैलता है, इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है।

कंडोम, सस्ते और हर जगह उपलब्ध हैं, और ये न केवल यौन–संचारित रोगों, बल्कि अनचाहे गर्भधारण से भी बचने का एक अच्छा तरीका हैं। यौनिकता के बारे में स्पष्ट और प्रभावी जानकारी प्रदान करने से, युवाओं में यौन संबंधों के कारण होने वाले एचआईवी से बचने की जानकारी और कुशलता हासिल होती है। व्यापक यौन शिक्षा से ऐसी दक्षता और मानसिकता विकसित होती है, जो स्वस्थ यौन संबंधों को बढ़ावा देती है, साथ ही इस बात की विस्तृत जानकारी भी मुहैया कराती है कि 'सुरक्षित सेक्स' कैसे करें।

# एचआईवी पॉज़िटिव या एड्स के साथ जी रहे लोगों को किस प्रकार के कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है?

अक्सर एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के साथ उनके परिवारों द्वारा, कार्य–स्थलों पर, स्कूलों, कॉलेजों में और यहां तक कि स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा भी भेदभाव किया जाता है। जब कार्य–स्थलों पर लोगों को उनके एचआईवी संक्रमित होने का पता चलता है तो कुछ लोगों को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है, लोगों को समुदाय से बाहर निकाल दिया जाता है। सार्वजनिक संसाधनों, जैसे कि कुओं आदि पर भी उनको जाने से रोका जाता है, महिलाओं को उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिया जाता है। स्कूल भी भेदभाव करते हुए एचआईवी संक्रमित बच्चों या उन परिवारों के बच्चों को, जिनके

माता–पिता या इनमें से कोई भी एचआईवी पॉज़िटिव है, आने से मना कर सकते हैं। यहां तक कि चिकित्सा प्रणाली से जुड़े लोग भी, जिन्हें अधिक जागरूक होना चाहिए, वे भी एचआईवी पॉज़िटिव रोगियों, खासकर एचआईवी पॉज़िटिव गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा उपचार मुहैया कराने से इनकार कर देते हैं।

इस कलंक और
भेदभाव का मूल
कारण क्या है?

हमारे समाज में यौनिकता अपने–आप में एक गोपनीय विषय है, और इसके बारे में बात करना बहुत बुरी बात मानी जाती है। जब लोगों के एचआईवी होने के बारे में पता चलता है, तो उनके बारे में यह सार्वजनिक धारणा बन जाती है कि उन्होंने कोई ऐसा यौन व्यवहार किया होगा, जो असुरक्षित है। हालांकि एचआईवी और एड्स के फैलने का ज़रिया केवल सेक्स ही नहीं है, लेकिन आम तौर पर इसे सेक्स से जुड़ा रोग ही माना जाता है।

इसके साथ–साथ एचआईवी किस तरह फैलता है इसके

बारे में भी कई गलतफहमियां हैं। जब समुदाय के लोगों को गलत जानकारी होती है, तो वे इस डर से एचआईवी पॉज़िटिव व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं कि कहीं वे भी न संक्रमित हो जाएं। यह डर ही भेदभाव का कारण बनता है। सच्चाई यह है कि यह डर बेबुनियाद है, और इसका मूल कारण, एचआईवी और इसके फैलने के कारणों के बारे में जानकारी का न होना है। गलत और अधूरी जानकारी से एचआईवी के बारे में इस प्रकार की गलतफहमियां पैदा होती हैं। भेदभाव और कलंक का कारण पूछा जाना चाहिए, उसे चुनौती दी जानी चाहिए और उसका समाधान किया जाना चाहिए। एचआईवी पॉज़िटिव व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने का प्रभावी तरीका, एचआईवी, उसके कारणों और एचआईवी से खुद को बचाने के तरीकों के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार करना है।

# एचआईवी और एड्स का मानव अधिकार से क्या संबंध है?

किसी भी देश के सभी नागरिकों, मनुष्यों के मानव अधिकार होते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए सरकार बाध्य है। एचआईवी और एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों को एक मानव माना जाना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही उनके अधिकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए। जब किसी ऐसे व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जब किसी बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता है या जब कोई डॉक्टर किसी एचआईवी पॉज़िटिव व्यक्ति का इलाज करने से इंकार कर देता है, तो यह, उनके मानव अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।

# महिलाएं और एचआईवी और एड्स: क्या हालात बदतर हैं?

जब एचआईवी और एड्स से संक्रमित व्यक्ति कोई महिला है, तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। समाज में महिलाओं की कमतर हैसियत होने के कारण, महिलाओं के प्रति समाज के बर्ताव पर भी असर पड़ता है। संक्रमण का कारण जो भी हो, चाहे यह उसके पति के कारण ही क्यों न हुआ हो, महिलाओं को छोड़ दिया जाता है या परिवार, बच्चों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। महिलाओं की परिवार और पति के ऊपर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता, उनकी हालत को और अधिक बदतर बना देती है। इसका, उनके इलाज और दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ता है।

इस बारे में कैसे
आगे बढ़ा जा
सकता है?

यह ज़रूरी है कि एचआईवी और एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को अपने अधिकारों के बारे में पता हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि ऐसा माहौल तैयार किया जाए, जहां एचआईवी और एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को सशक्त किया जाए और सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाया जाए। एचआईवी पॉज़िटिव और एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों को सुरक्षा देने वाले और अधिकार प्रदान करने वाले कानून और नीतियां बनाना सरकार की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है। फिर भी, जब तक पूरे समाज में एचआईवी और एड्स के बारे में सकारात्मक सोच नहीं बनती है, तथा एचआईवी और एड्स से संक्रमित व्यक्तियों के

प्रति गलत बर्ताव और भेदभाव खत्म नहीं किया जाता है, तब तक कोई प्रगति नहीं होगी। ऐसे में यौन शिक्षा सही जानकारी मुहैया कराकर एक अहम भूमिका अदा कर सकती है, जिससे एचआईवी और एड्स से जुड़ी गलतफहमियों और डरों को दूर किया जा सकता है। लोगों की नज़र में एचआईवी और एड्स वाले व्यक्तियों को समाज के एक 'सामान्य' हिस्से के रूप में देखने के लिए एक सार्थक माहौल बनाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार और अन्य सेवाओं के समान अधिकार के साथ–साथ किसी प्रकार की कलंक की भावना के नहीं होने पर ही वास्तव में कहा जा सकता है कि एचआईवी पॉज़िटिव और एड्स के साथ जी रहे व्यक्तियों के अधिकारों में प्रगति हुई है।

# सहयोगी संस्थाएं

**महिला मंडल**

कार्यालय, ग्राम, पोस्ट, इटखोरी, ज़िला चतरा, पिन – 825408 झारखंड

**लोक प्रेरणा केन्द्र**

पी टी सी चौक, लालकोठी, भटवारी, ज़िला हज़ारीबाग, पिन – 825301, झारखंड

**प्रेरणा भारती**

पथरचपटी मधुपुर ज़िला देवघर, पिन – 815353, झारखंड

**सिंहभूमि ग्रामीण उन्नयन महिला समिति**

ग्राम झरिया वाया चाकुलिया ज़िला पूर्वी सिंहभूम पिन – 832301, झारखंड

**आंकाक्षा सेवा सदन**

गावं मैदापुर चौबे, पोस्ट खरूना, ज़िला मुज़्ज़फरपुर, पिन – 843113, बिहार

**नारी निधि**

202 वैधनाथ पेलेस द्वितीय तल ए जगदेव पथ वैली रोड पटना, पिन – 800014, बिहार

**सर्वो प्रयास संस्थान**

शंकर चौक वार्ड न0 6 मधुवनी पिन – 827211, बिहार

**ग्रामोन्नती संस्थान**

सुभाश चौकी के पास, लघांनपुरा, महोबा – 210427, उत्तर प्रदेश

**वीरांगना महिला विकास संस्थान**

132, गुसाईपुरा, झांसी, पिन – 284002, उत्तर प्रदेश

**आग़ाज़-ए-इन्साफ**

एम– 2, 214, सेक्टर आई ,जानकीपुरम्, लखनऊ, पिन – 226021, उत्तर प्रदेश

यह प्रकाशन फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से तैयार किया गया है।

निशुल्क कॉपियाँ मंगवाने के लिए, संपर्क करें:

**क्रिया**

7 बी जंगपुरा, नई दिल्ली 110014
फोनः +91-11-24377707 / 24378700, इमेलः crea@creaworld.org
वेबसाइटः www.creaworld.org

crea